

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पीएम०सी०/विविध/926/2019 29/21-22 प्र० स्वी. /राँची, दिनांक 25.01.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल भवन डोरण्डा राँची का वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य के लिए ₹ 23.644 लाख (तेईस लाख चौसठ हजार चार सौ) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

- जल भवन डोरण्डा राँची का वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य के लिए ₹ 23.644 लाख (तेईस लाख चौसठ हजार चार सौ) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा डोरण्डा स्थित जल भवन के लिए वर्ष 2021-22 में वार्षिक मरम्मत तथा सम्पोषण कार्य हेतु अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Items of Work	Amount
i	Daily Consumable Items used for Washing & Cleaning of Building	₹100375.00
ii	Maintenance of Electrical Equipments including, A.C. Water Purifier, Switch Board etc.	₹114460.00
iii	Maintenance of Lift and Fire fighting System installed in Jal Bhawan, Doranda, Ranchi	₹219480.00
iv	Running & Maintenance of Generator Set Installed in Jal Bhawan Doranda Ranchi	₹425947.40
v	Maintenance of Guest House and Minister's Cell on 4 th Floor of Jal Bhawan	₹11800.00
vi	Labour Cost for Maintenance of Jal Bhawan including Sweeper, Guard, Electrician, Plumber etc	₹1336767.00
vii	Minor Civil Repair Work	₹25000.00
viii	Provision of projector with speaker for conference Hall at Jal Bhawan Doranda, Ranchi	₹115640.00
ix	Sanitary Items (Bib cock, waste pipe, spandal Tee etc.)	₹15000.00
	Total	₹2364469.40

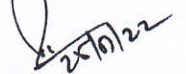
- यह कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जाएगा।

5. उपरोक्त कार्यो पर होनेवाला व्यय :-

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के अन्तर्गत प्रस्तावित ₹ 23.644 लाख मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-68-भवनों का संधारण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. उक्त कार्य जलपथ प्रमण्डल, राँची द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस कार्य के लिए वर्ष 2021-22 के बजट शीर्ष 4701-80-796-68-00-05-45 में ₹ 500.00 लाख राशि का उपबंध है।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(प्रशांत कुमार)

सचिव

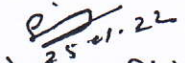
पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 25.01.2022

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 25.01.2022

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019 29/21-22 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक 25.01.2022

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र० राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019 29/21-22 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक 25.01.2022

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

25.01.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019 29/21-22 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक 25.01.2022

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव